महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन
Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthan, Ujjain
(शिक्षा मंत्रालय,भारत शासन का स्वायत्तशासी संस्थान)
(An autonomous organisation under Ministry of Education,Government of India)
वेदविद्या मार्ग, चिन्तामण गणेश, पो. जवासिया, उज्जैन - 456006 (म.प्र.)
Vedavidya Marg, Chintaman Ganesh, P.O. Jawasiya,Ujjain - 456006 (M.P.)
दूरभाष/Tele : (0734) 2502266,2502254फैक्स/Fax : (0734) 2502253
E-mail : msrvvpujn@gmail.com, Web : www.msrvvp.ac.in

- निविदा प्रपत्र / Tender Form-

कार्य का नामः- वर्ष 2024-2025 हेतु प्रतिष्ठान में परिवहन व्यवस्था हेतु।

Name of work: - For hiring of Vehicles in the Pratishthan for the year 2024-2025.

निविदा की अंतिम तिथि Last date of Tender	:	09 मार्च, 2024 शनिवार, मध्यरात्रि 12:00 बजे
निविदा खोलने की तिथि Tender Opening Date	:	11 मार्च, 2024 सोमवार ,प्रातः11:00 बजे
परिवहन व्यवस्था हेतु अनुमानित लागत राशि Estimated expenditure on hiring of Vehicles		रु . 5,00,000/- Rs.5,00,000/-
कार्य के पूर्ण करने की समय सीमा/समयावधि Deadline/Time Period for completion of work:	:	एक वर्ष (आवश्यकतानुसार बढ़ाई जा सकती है।) One year (can be extended as per necessity)
निविदा प्रस्तुत करने वाली संस्था का नाम एवं पता (दूरभाष एवं मोबाइल नम्बर सहित) Name and Address of the organisation submitting the tender (including telephone and mobile number)	:	

प्रतिष्ठान के उपर्युक्त कार्य हेतु GeM पोर्टल पर पंजीकृत एवं अधिकृत निविदादाताओं से निविदा आमंत्रित की जाती हैं।

Tenders are invited from registered and authorised Tenderers on GeM portal for the aforesaid work of the Pratishthan.

निबंधन एवं शर्तें :-

Terms and Conditions:-

अ. निम्न पत्र/प्रपत्र एवं प्रमाण पत्र संलग्न करें :

A. Attach the following letters/forms and certificates:

1. बोली भरते समय जमा करने वाली धरोहर राशि में दी जाने वाली छूट हेतु एम.एस.एम.ई./स्टार्ट अप का प्रमाण पत्र देना होगा। उक्त प्रमाण पत्र के अभाव में निविदा कार्य की 2% राशि अर्थात् रुपये 10,000/- की राशि राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी DD/FDR जो MSRVVP के पक्ष में देय हो, संलग्न करना अनिवार्य है।

   For exemption/relaxation in the Earnest Money to be deposited while filing the bid, certificate of MSME/Startup will have to be submitted. In the absence of the aforesaid certificate, it is mandatory for the Tenderers to attach DD/FDR amounting 2% of the Tender amount i.e. Rs 10,000/- issued by a nationalised bank payable in favour of MSRVVP.

2. फर्म के पंजीयन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करनी होगी।

   A photocopy of the firm's registration certificate will have to be attached.

3. निविदाकार को शासकीय / अर्द्धशासकीय / औद्योगिक संस्थाओं का न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव प्रमाण-पत्र/कार्यादेश की छायाप्रति प्रेषित करनी होगी। इसमें निविदा मूल्य की लागत का 80% का एक प्रमाण-पत्र अथवा 60% के दो प्रमाण-पत्र अथवा 50% के तीन प्रमाण-पत्र संलग्न करने आवश्यक है जो विगत 7 वर्षों के अन्दर प्राप्त किये गये हों।

   The tenderer will have to send a photocopy of the minimum two years’ experience certificate/work order from Government / Semi-Government / Industrial Organisations. In this, it is necessary to attach one certificate of **80%** of the cost of the tender price or two certificates of **60%** or three certificates of **50%** which have been obtained within the last **7** years.

4. निविदाकार को पैनकार्ड की स्वयं सत्यापित छायाप्रति संलग्न करनी होगी।

The tenderer will have to submit a self attested photocopy of the PAN card.

5. निविदाकार फर्म द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 (कर-निर्धारण वर्ष 2023-24) में जमा आयकर रिटर्न की छायाप्रति संलग्न करना होगी।

   A photocopy of the income tax return submitted by the tendering firm in the financial year 2022-23 (assessment year 2023-24) will have to be attached.

6. GST नम्बर की छायाप्रति संलग्न करें।

   Kindly attach a photocopy of the GST number.

7. सेवा कर क्रमांक की स्वयं सत्यापित छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी ।पिछली तिमाही का सेवा कर जमा करने की रसीद् की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है ।

   Self attested photocopy of service tax number will have to be submitted. Receipt for deposit of service tax for previous quarter should be mandatorily attached.

8. निविदाकार फर्म का आर.टी.ओ. में पंजीयन होना आवश्यक है । पंजीयन प्रलेख की स्वयं सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।

   It is necessary for the tendering firm to be registered with RTO. A self attested photocopy of the registration document is to be attached.

9. समस्त निविदादाताओं को अपनी सत्यनिष्ठा प्रमाणित करने हेतु संलग्न पत्र (सत्यनिष्ठा समझौता) पर हस्ताक्षर कर निविदा के साथ ही प्रस्तुत करना होगा।

   All the bidders will have to sign the attached form ("Integrity Pact") to certify their integrity and submit it along with the tender.

10. निविदाकार को निविदा में अपने हस्ताक्षर के साथ सील एवं नाम स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा।

    The Tenderer will have to clearly mention his seal and name along with his signature in the tender.

11. निविदा प्रपत्र में दिये गये प्रारूप के अनुसार सभी मदों में दरें भरना अनिवार्य है ।

    It is mandatory to fill the rates for all the items as per the format given in the tender form.

12. निविदा निम्नलिखित अनुसार अलग-अलग प्रेषित करे:-

The tenders should be submitted separately as per the following:-

क) **तकनीकी बोली** - उपर्युक्त माँगे गये समस्त प्रमाण-पत्र/प्रपत्र की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रतियाँ स्केन कर निविदा के साथ अपलोड करें । मूल प्रति सत्यापन हेतु निविदा के खुलने के पश्चात् L1 आने पर प्रतिष्ठान कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा।

a) Technical bid - The self-attested photocopies of all the aforesaid certificates/forms must be scanned and uploaded with tender, and the original copy must be submitted to the Pratishthan's office after the opening of the bids and finalisation of L-1 for verification.

ख) **वित्तीय बोली** - प्रतिष्ठान द्वारा जारी निविदा फार्म में निर्धारित स्थान पर निविदा दरें भरी जाएँ। प्रस्तुत निविदा दरों में किसी प्रकार की काट-छाँट मान्य नहीं होगी।

b) Financial Bid – Tender rates should be filled in the space prescribed in the tender form issued by the Pratishthan. Any kind of cutting or overwriting in the submitted tender rates will not be accepted.

ब. निम्न स्थितियों में निविदा अमान्य/निरस्त मानी जाएगी :

B. The tender will be considered invalid/cancelled in the following situations:

1. भारत सरकार के नियमानुसार, न्यूनतम दर पर संस्था को L1 होने पर जी.इ.एम पोर्टल द्वारा उसे कार्यादेश जारी किया जाएगा। शपथ पत्र के अनुसार पूर्तिकर्ता द्वारा कार्य नहीं करने की स्थिति में पूर्तिकर्ता को 3 वर्ष के लिये ब्लैक लिस्ट किया जाएगा।

   As per rules of Government of India, work order will be issued by GeM portal to the Supplier at minimum rate if it gets L1. According to the affidavit, in case the Supplier fails to fulfil the requirement, it will be blacklisted for 3 years.

2. निविदा दरें प्रतिष्ठान की शर्तों पर आमंत्रित की गई हैं। अतः निविदाकार की कोई शर्त या बंधनकारी प्रावधान मान्य नहीं होगा अर्थात सशर्त प्रस्तुत निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। निर्धारित निविदा फार्म में सामग्री के उपर किसी भी प्रकार के कर भुगतान या शर्तों का उल्लेख नहीं किया जावे। अंतिम दर सभी कर (टैक्स) सहित दी जानी चाहिए। सभी कर तथा लाइसेंस, चुंगी शुल्क, पैकिंग खर्च केवल निविदाकारों द्वारा वहन की जाएगी ।

   Tender rates have been invited on the terms and conditions of The Pratishthan. Therefore, no condition or binding provision of the tenderer will be accepted, i.e., a tender submitted with any

condition of the tenderer will not be considered. No addition of tax or conditions should be mentioned in the prescribed tender form.All rates must be final and inclusive of all taxes. All the taxes & licences, octroi duty, packing expenses must be borne by tenderers only.

3. 'सत्यनिष्ठा समझोता' प्रमाणपत्र/प्रपत्र के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा ।

In the absence of 'Integrity Pact' certificate/proforma the tender will not be considered valid.

4. निविदा दरें सुस्पष्ट अक्षरों में लिखी होनी आवश्यक हैं। किसी भी प्रकार की अस्पष्टता एवं काट-छाँट आदि होने पर निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी।

Tender Rates must be written clearly. In case of any kind of overwriting and cutting, the tender will be rejected.

5. एक मद में भी निविदा दर न भरने पर निविदा स्वतः निरस्त हो जायेगी। निविदा प्रपत्र में दिये गये मद एवं मात्रा में ही दरें स्वीकार्य होंगी। अन्य मद एवं मात्रा में दी गई दरें स्वीकार्य नहीं होंगी।

If the tender rate is not filled even for one item, the tender will be automatically cancelled. Rates will be accepted only for the items and quantities indicated in the tender form. Rates given for other items and quantities will not be acceptable.

स. अन्य जानकारियाँ :

C. Other information:

1. निविदा खोलते समय निविदाकार अथवा उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते हैं। अनुपस्थित रहने की स्थिति में निविदाकार द्वारा उठाई गई किसी भी आपत्ति पर प्रतिष्ठान विचार नहीं करेगा तथा किसी प्रकार का स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

The tenderer or his authorised representative may remain present at the time of opening of the tender. In case of absence, objections raised by the bidder will not be entertained by the Pratishthan and no explanation will be furnished.

2. निविदा खोलते समय सर्वप्रथम तकनीकी बोली खोली जायेगी। माँगे गये सम्पूर्ण प्रलेखों के प्राप्त होने के पश्चात ही वित्तीय बोली खोली जायेगी। तकनीकी बोली में अधूरे प्रलेखों प्राप्त होने पर वित्तीय बोली खोले बिना ही सम्बन्धित निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

While opening tender, the technical bid will be opened first. The financial bid will be opened only after receipt of all prescribed documents. In case of incomplete documentation in the technical bid, the tender will be cancelled without opening the financial bid.

3. निविदा स्वीकार्य होने के स्थिति में निविदा स्वीकृति पत्र जारी होने की तिथि से अधिकतम 15 दिनों में सफल निविदाकार को स्वीकृत निविदा राशि की 3% धनराशि सावधि जमा /बैंक गारंटी के माध्यम से प्रतिष्ठान के पक्ष में निष्पादन प्रतिभूति के रूप में जमा की जानी है, जो निविदा कार्य पूर्ण होने के 60 दिनों तक वैध रहेगी और कार्यपूर्ण होने के 60 दिनों के पश्चात वापस की जाएगी।

After finalisation of tender, 3% of tender amount is to be deposited in favour of Pratishthan as Performance Security by the successful tenderer within a maximum period of 15 days from the date of issue of tender acceptance letter. The amount may be deposited through FDR/Bank Guarantee which shall remain valid till 60 days beyond the completion of the tendered work and will be released after 60 days of work completion.

4. निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त होने के अनन्तर एक सप्ताह के अन्दर कार्यादेश जारी कर दिया जाएगा। कार्यादेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर कार्य का अनुबंध हस्ताक्षर करना होगा तदनन्तर कार्य आरम्भ किया जाएगा।

The work order will be issued within a week after receiving the Performance Secuirty. The work contract will have to be signed within a week of receiving the work order, after which the work will start.

5. कार्यादेश जारी होने की तिथि के पन्द्रह दिनों बाद की तिथि से कार्य प्रारम्भ करना होगा। कार्य पूर्ण होने की तिथि से समापन तिथि की गणना की जाएगी।

The work shall have to be started within fifteen days of the date of issue of work order. The completion date will be calculated from the date of starting the work.

6. कार्य की विचलन सीमा 100% रहेगी।

Deviation limit of work will be 100%.

7. सेवाओं में लापरवाही या कार्य संतोषजनक न पाये जाने पर अनुबन्ध अवधि से पूर्व ही सम्बन्धित एजेन्सी का अनुबंध समाप्त करने का अधिकार प्रतिष्ठान को होगा ।

In case of negligence in providing services or services being found unsatisfactory, the Pratishthan will have the right to terminate the contract of the concerned agency before the completion of the contract period.

8. ड्यूटी पर तैनात किसी भी कर्मी को ड्यूटी स्थल तक आने-जाने का किसी प्रकार का स्थानीय प्रभार भुगतान नहीं होगा।

Any personnel deployed on duty will not be paid any local charges for traveling to and from the duty place.

9. भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा कार्य सम्बन्धित स्वीकृत समस्त कानूनों /अधिनियमों के पालन का सम्पूर्ण दायित्व एजेंसी पर होगा।

It will be the sole responsibility of the agency to abide by all the work related laws and regulations of the Government of India/State Government.

10. निर्धारित समय सीमा में विनिर्दिष्ट कार्यादेश पूर्ण नहीं करने की स्थिति में अमानत राशि राजसात कर ली जाएगी।

In case the assigned work order is not completed within the stipulated time limit, the security deposit will be confiscated.

11. प्रदत्त सामग्री/सेवाओं के बिलों का भुगतान **RTGS/PFMS** द्वारा सीधे उस फर्म/एजेंसी के खाते में जारी किया जाएगा जिसे अनुबंध प्रदान किया गया है।

The payment of the bills for supply of goods/services will be released by RTGS/PFMS directly into the account of the firm/agency who has been awarded the contract.

12. सेवा की गुणवत्ता का विशेष ध्यान देना आवश्यक है। यदि सेवा निविदा में उल्लिखित मानक के अनुसार नहीं मिलती है, तो अनुबंध रद्द कर दिया जाएगा।

It is necessary to pay due attention to the quality of services. In case the service is not found as per the standard/specification mentioned in the tender, the contract will be cancelled.

13. बिलराशि से नियमानुसार टीडीएस की कटौती की जिम्मेदारी प्रतिष्ठान की रहेगी। टीडीएस कटौती से सम्बन्धित 16ए फार्म टीडीएस जमा होने के पश्चात जारी किया जायेगा।

The Pratishthan will be deducting TDS from the bill amount as perrules. Form 16A, related to TDS deduction, will be issued after deposit ofthe TDS amount.

14. निविदा में निर्धारित न्यूनतम दर पर कार्य करना स्वीकार किया जायेगा।

Services will be accepted at the minimum rate prescribed in the tender.

15. यदि किसी निविदा की दर दो या दो से अधिक निविदाकारों के मध्य समान पायी जाती है तो जिस निविदा में अधिकतम वाहन की दर न्यूनतम होगी उसे ही सम्पूर्ण निविदा की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

If the rate of any tender is found to be the same between two or more tenderers, then only the tender which has the lowest rate for maximum vehicles will be approved for the entire tender.

16. निविदा दरें प्रतिष्ठान की शर्तों पर आमंत्रित की गई हैं अतः निविदाकार की कोई शर्त या बंधनकारी प्रावधान मान्य नहीं होगा।

The tender rates have been invited on the terms and conditions of the Pratishthan, hence no condition or binding provision of the tenderer will be valid.

17. आवश्यक होने पर जी.एस.टी कर जमा करने की जवाबदारी निविदाकार फर्म की होगी।

It will be the responsibility of the tendering firm to deposit GST taxes (if necessary).

18. समस्त सरकारी विभागों द्वारा जारी आवश्यक प्रमाण-पत्र प्रतिष्ठान कार्यालय में प्रस्तुत करना होंगे।

Necessary certificates issued by all government departments will have to be submitted in the Pratishthan's office.

19. निर्दिष्ट दर निविदा प्रस्तुत करने से कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए वैध रहनी चाहिए।

The quoted rate should remain valid for a minimum period of one year from the submission of tender.

20. माननीय सचिव, म.सा.रा.वे.वि.प्र (उज्जैन) के पास बोली को स्वीकार करने तथा बिना कारण बताए किसी भी अथवा समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा ।

The right to accept a bid will rest with Hon'ble Secretary, MSRVVP (Ujjain) who reserves the right to reject any or all bids without assigning reasons thereof.

21. यदि निविदा जमा करने/खोलने की तिथि को अवकाश होता है तो निविदा अगले कार्य दिवस पर स्वीकार की /खोली जाएगी।

In case, the date of submission/opening of tender happens to be holiday ,the tender shall be received/opened on the next working day.

22 . यदि सफल बोलीदाता समय पर काम शुरू नहीं करता है या काम को बीच में ही रोक देता है अथवा काम को पूरी तरह से छोड़ देता है,तो उसकी निष्पादन प्रतिभूति राजसात कर ली जाएगी तथा म.सा.रा.वे.वि.प्र,उज्जैन को अनुबंध आदेश रद्द करने का अधिकार होगा।

If the successful bidder does not start work in time or stops the work midway or leaves the work altogether, his performance security will be forfeited and MSRVVP,Ujjain shall have the right to cancel the contract order.

23. किसी भी बोलीदाता को बोली जमा करने/निविदा खोलने के बाद निविदा वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी,अन्यथा फर्म द्वारा जमा की गई बयाना राशि राजसात कर ली जाएगी।

No bidders shall be allowed to withdraw after submission of bids/opening of the tender, otherwise EMD submitted by the firm is liable to be forfeited.

24. किसी भी प्रकार के वाद-विवाद का क्षेत्राधिकार माननीय उच्च-न्यायालय इन्दौर खंडपीठ (म.प्र.) ही रहेगा।

In case of any kind of dispute, jurisdiction will be Hon’ble High Court, Indore Bench (MP).

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

Signature of Tenderer

सचिव/Secretary

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान

Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthan

चालक सहित वाहन को मासिक आधार पर किराये पर लेने हेतु निबंधन एवं शर्तें

Terms and conditions for hiring of vehicles with driver on monthly basis

1. मारुति सियाज /स्विफ्ट डिजायर को एक साल के लिए किराए पर लेना है।
   Maruti Ciaz/Swift Dzire is to be rented for one year.
2. वाहन 2020 के उपरांत पंजीकृत होना चाहिए तथा व्यावसायिक उपयोग हेतु परमिट के साथ अधिमानतः सफेद रंग का होना चाहिए।
   The vehicle should have been registered after 2020 and preferably of white colour with a permit for commercial use.
3. वाहन वातानुकूलित होना चाहिए।
   The vehicle should be air conditioned (AC).
4. ड्राइवर एवं रखरखाव का कार्य वाहन मालिक का होगा।
   The vehicle owner will be responsible for the driver and maintenance of the vehicle.
5. वाहन के मासिक बिल का भुगतान निविदा में दिये गये मासिक दर के अनुसार किया जायेगा। वाहन चलने की न्यूनतम वार्षिक सीमा 20000 कि.मी. होगी। इससे अधिक चलने की स्थिति में निविदा में अंकित प्रति कि.मी. की दर से भुगतान किया जाएगा।
   Monthly vehicle bill will be paid on the basis of monthly rate as mentioned in the tender. The minimum annual driving limit of Vehicle is 20000 km. In case of exceeding this limit, payment will be done at the rate of per Km run, as listed in tender.
6. वाहन द्वारा प्रतिदिन तय की गयी प्रारम्भिक और अंतिम दूरी की गणना (कि.मी. में) चिन्तामण गणेश मार्ग स्थित प्रतिष्ठान मुख्यालय से ही की जाएगी। जिसका कि.मी. आवागमन रजिस्टर (लॉग बुक) में दर्ज कर प्राधिकृत अधिकारी से सत्यापित कराना अनिवार्य होगा।
   Distance run per day will be calculated in Kms only from the Pratishthan's headquarters located at Chintaman Ganesh Marg. It will be mandatory to enter the starting and ending reading of Kms travelled in the Log book register and get it verified by the authorised officer.
7. वाहन स्थानीय एवं बाहरी यात्रा दोनों के उपयोग में लिया जाएगा।
   The vehicle will be used for both local and outstation journey.
8. किसी कारणवश वाहन में खराबी आने पर दूसरे वाहन की व्यवस्था तुरन्त करनी होगी।

In case of any fault in the vehicle, arrangements for another vehicle will have to be made immediately.

9. वाहन का ड्यूटी समय प्रातः 09:00 से सायं 07:00 बजे तक रहेगा।

   The duty timing of the vehicle will be from 09:00 am to 07:00 pm.

10. वाहन के रजिस्ट्रेशन एवं बीमा की छायाप्रति संलग्न की जाये।

    Photocopy of registration and insurance of vehicle should be attached.

11. वाहन मय डीजल के व सही हालत में होना चाहिये।

    The vehicle should be filled up with adequate diesel and should be in good condition.

12. ड्रायवर के लायसेन्स की छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी।

    Photocopy of driver's license will have to be submitted.

13. वाहन चालक के पास मोबइल का होना अत्यन्त आवश्यक है, जो कि मालिक के द्वारा प्रदत्त होगा।

    It is very important for the driver to have a mobile phone, which will be provided by the owner.

14. चालक मृदुभाषी, संवेदनशील होना चाहिए एवं मद्यपान, धूम्रपान, गुटखा आदि व्यसनहीन होना अनिवार्य है ।

    It is mandatory for the driver to be soft-spoken, compassionate and addiction free, including abstaining from alcohol, smoking, gutka, etc.

15. वाहन की क्षति या हानि होने पर प्रतिष्ठान उत्तरदायी नहीं होगा।

    The Pratishthan will not be responsible for any damage or loss to the vehicle.

16. आवेदन पत्र भरने से पूर्व उपर्युक्त नियमों एवं शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।

    Please read the above terms and conditions carefully before filling the application form.

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

Signature of Tenderer

सचिव/Secretary

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान

Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthan

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन

(शिक्षा मंत्रालय, भारत शासन का स्वायत्तशासी संस्थान)

वेदविद्या मार्ग, चिन्तामण गणेश, पो. जवासिया, उज्जैन - 456006 (म.प्र.)

दूरभाष/Tele : (0734) 2502266, 2502254, फैक्स/Fax : (0734) 2502253

E-mail : msrvvpujn@gmail.com, Web : www.msrvvp.ac.in

सत्र 2024-25 में चालक सहित वाहन व्यवस्था हेतु निविदा प्रपत्र

क्र. सं.	वाहन का प्रकार	स्थानीय किराया प्रतिदिन 12 घण्टे / 80 कि.मी. की दर से किराया (समस्त कर सहित) (रु.)	इन्दौर एयरपोर्ट जाने आने के लिए किराया (समस्त कर एवं टोल टैक्स सहित) (रु.)	उज्जैन से अन्य स्थानों में जाने आने का प्रति कि.मी. की दरें (समस्त कर, टोल टैक्स, रात्रि प्रभार सहित) (रु.)	प्रतिष्ठान कार्यालय में मासिक ड्यूटी हेतु प्रति कि.मी. दर (समस्त कर सहित) (रु.)
1	स्कारपियो नान एसी				-
2.	स्कारपियो एसी				-
3.	टवेरा नान एसी				-
4.	टवेरा एसी				-
5.	इनोवा नान एसी				-
6.	इनोवा एसी				-
7.	क्वालिस नान एसी				-
8.	क्वालिस एसी				-
9.	ज़ाइलो नान एसी				-
10.	ज़ाइलो एसी				-
11.	टाटा सुमो नान एसी				-
12.	टाटा सुमो एसी				-
13.	तूफान 13 सीटर नान एसी				-
14.	बोलेरो नान एसी				-
15.	टेम्पो ट्रेवलर नान एसी				-
16.	टेम्पो ट्रेवलर एसी				-
17.	टाटा इण्डिका विस्टानान एसी				-
18.	टाटा इण्डिका विस्टा एसी				-
19.	टाटा इण्डिका सीएस नानएसी				-
20.	मारुति सियाज सीएस एसी				
21.	स्विफ्ट डिज़ायर एसी				
22.	स्विफ्ट डिज़ायर नान एसी				-
23	बस 2×2 (39 सीटर उज्जैन लोकल)				-
24.	बस 3×2 (52 सीटर उज्जैन लोकल)				-

क्रमांक 20 एवम् 21 में प्रतिष्ठान कार्यालय में मासिक ड्यूटी हेतु दर भरें।

निविदाकार के हस्ताक्षर

दिनांक - .... नाम एवं पता